राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4328/2022

रचना –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022
आदेश की दिनांक : 18.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अभिभाषक

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरोड, झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.09.2021 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरोड, झुन्झुनूं से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के अधीन रिक्त पद पर किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 4126/2021 दायर की, पारित आदेश द्वारा आलोच्य आदेश 15.09.2021 के क्रियान्वयन पर स्थगन दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.11.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को यथावत रखे जाने के निर्देश दिए गए थे। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय हाजा, झुंझुनूं दर्शाते हुए उपकेन्द्र घडोई चारणान, बाडमेर किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। पत्रावली के उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का पूर्व में पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरोड, जिला झुन्झुनूं में था, जहाँ आदेश दिनांक 15.09.2021 (अनुलग्नक–3) से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के अधीन रिक्त पद पर स्थानान्तरण किए जाने पर अधिकरण के स्थगन आदेश के पश्चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं द्वारा आदेश दिनांक 20.12.2021 (अनुलग्नक–4) में अंकित किया गया है कि ''श्रीमती रचना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पीएचसी देवरोड माननीय न्यायालय के स्थगन से आधिक्य का पदस्थापन/समायोजन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुरजगढ में एसआई के रिक्त पदविरूद्ध किया जाता है।''

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पदस्थापन की स्थिति अधिशेष स्वमेव ही हो जाती है क्योंकि आधिक्य का पदस्थापन/समायोजन करते हुए ही खण्ड मुख्य चिकित्सा अअधिकारी सूरजगढ़ में एस.आई के रिक्त पदविरूद्ध किया गया है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिशेष के रूप में स्थानान्तरण किया गया है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने

भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.............................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)